कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) टीकमगढ़ म0प्र0

क्र0 584 /स्था0/2022 टीकमगढ़ दिनांक– 13-4-2022

आदेश

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञा0 क0 सी 3–12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्वर 2014 में दिये निर्देशानुसार, जनजाति कार्य विभाग टीकमगढ में पदस्थ श्री श्रीराम सेन सहा0वर्ग 2 की सेवा में रहते दिनांक 29.8.2021 को मृत्यु होने से उनके पुत्र श्री नीलेश सैन आत्मज स्व0 श्रीराम सैन निवासी नये वस स्टेण्ड टीकमगढ का प्रकरण अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ प्राप्त प्रकरण को जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 23.02.2022 में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया जिला स्तरीय छानवीन समिति की अनुसंशा के अनुसार श्री नीलेश सैन आत्मज स्व0श्रीराम सैन निवासी नये बस स्टेण्ड टीकमगढ को जन जाति कार्य विभाग टीकमगढ में अनारक्षित सहा0वर्ग 3 के रिक्त पद पर वेतनमान (5200–20200) ग्रेड–पे 1900 (म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट पे– मैट्रिक्स लेवर 04) के न्यूनतम मूल वेतन 19500 एवं प्रचलित भत्तों पर उनके कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से उल्लेखित शर्तो के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

संबंधीजन को म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी–3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्वर 20019 एवं वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना दिनांक 22.2.2020 के अनुसार प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होगें ।

अनुकम्पा नियुक्ति निम्नलिखित शर्ते के अधीन प्रभावशील होगी :–

1. नियुक्ति उम्मीदवार को पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते समय किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपनी शैक्षणिक योग्यता मूल निवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवापर्य होगा । इनका परीक्षण अभ्यर्थी को पदांकित संस्था के कार्यालय प्रमुख के समक्ष मूल अभिलेख साथ में लेकर अनिवार्य रूप से कराना होगा अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियां सेवा अभिलेख में सुरक्षित रखें ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष की ओर से एक माह की पूर्व सूचना पर अथवा एक माह के बरावर की वेतन राशि भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी ।
3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आवेदक शासकीय सेवा के आयोग्य ठहराया जाता है तो उसकी यह अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से विना पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी ।
4. कार्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के एक माह की समयावधि में जिला मेडीकल वोर्ड द्वारा जारी फिटनेश प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि जिला मेडीकल वोर्ड द्वारा आवेदक को अनुकम्पा नियुति के पद या सेवा हेतु अनफिट पाया जाता है तो उसकी अनुकम्पा नियुक्ति का यह आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जावे
5. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि तक संबंधित को पदांकित स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनके स्वयं के मामले में आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा
6. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी–3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्वर 2014 के अनुसार परिवीक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधीजन को मान्यता प्राप्त वोर्ड से परिपत्र कमांक सी/3–11/08/3/एक भोपाल दिनांक 12.6.2009 के अनुसार (CPCT) के साथ साथ कम्प्यूटर ज्ञान हेतु एक वर्षीय कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन डिप्लोमा कोर्स शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्र0 सी–15/2014/1/3/भोपाल दिनांक 26 फरवरी 015 द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा के स्थान पर शासन द्वारा अब कम्प्यूटर प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer rofiency certification Test (CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा । कंडिका 2 की उप कडिका 6 एवं 7 के अनुसार संबंधीजन को एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स एवं सी.पी.सी.टी. परीक्षा नियुक्ति दिनांक से तीन वर्षो के अन्दर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । निर्धारित तीन वर्ष की अवधि में बाछित परीक्षाऐं उत्तीर्ण नहीं किये जाने पर संबंधीजन को मात्र एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जावेगा किन्तु –

उक्त अवधि में संबंधीजन को स्थाई नहीं किया जा सकेगा एवं उसे नियमित वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं दिया जावेगा । संबंधीजन द्वारा दी गई समय–सीमा में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधीजन की सेवाऐं समाप्त की सकेगी ।

8. आवेदक को अपने परिवार का पूर्ण विवरण संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

9. संबंधीजन को नियुक्ति पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय यह वचन पत्र /शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का समुचित भरण पोषण करने का लेख किया गया हो । बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित होने पर कि उसके द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का उचित भरण पोषण नहीं किया जा रहा है अथवा अनदेखा किया जा रहा है तो संबंधीजन की अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

10. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेजों में किसी भी तरह के फर्जी या कूट रचित दस्तावेज भविष्य में पाये जाते है और अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं है तो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर संबंधित की सेवाऐं समाप्त की जावेगी ।

11.म0प्र0 शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 1.1.2005 के पश्चात नियुंक्ति कर्मचारियों को म0प्र0 शासन वित्त विभाग के अधिसूचना कमांक एफ–9/2/2005/निय/चार दिनांक 02.04.2005 के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगें । म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक /एफ–5/1/05/के नियम 4 दिनांक 02.04.2005 के अनुसार संबंधित को म.प्र. शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं रहेगें । म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक /एफ–9/3/2003/नियम /चार दिनांक 13.4.2005 के अनुसार म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगें नियुक्त कर्मचारी को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

12. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र कमांक /एफ–सी–3/15/2012 /1/3 दिनांक 24. 11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

13.आवेदक को एक वार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी भी अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति परिवर्तित नहीं की जावेगी और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरिम की जावेगी ।

14.म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2011 की कंडिका 4.1 के तहत संबंधीजन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं आती तो तत्काल ही संबंधित की सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगी ।

15. यदि संबंधित शासकीय सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा तो उसे नियमानुसार एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कराना होगा । आपके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके ऐवज में एक माह के वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत देय राशि आपसे भू–राजस्व की भांति बसूली योग्य होगी ।

16 उम्मीदवार को शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सभी शर्ते म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा समय समय पर जारी शासनादेखों को मान्य करना अनिवार्य होगा ।

पृ0क्र0 584/स्था0/2022 टीकमगढ़ दिनांक– 13-04-2022

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन जन जाति कार्य म0प्र0 शासन भोपाल ।
2. महालेखाकार म0 प्र0 ग्वालियर ।
3. आयुक्त जनजाति कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल ।
4. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म0प्र0 भोपाल ।
5. कमिश्नर सागर संभाग सागर ।
6. पुलिस अधीक्षक टीकमगढ ।
7. संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर ।
8. जिला कोषालय अधिकारी टीकमगढ ।
9. जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग टीकमगढ ।
10. लेखापाल जनजाति कार्य विभाग टीकमगढ ।
11. संबंधीजन श्री श्री नीलेश सैन आत्मज स्व0 श्रीराम सैन निवासी नये वस स्टेण्ड टीकमगढ को निर्देशित किया जाता है कि आप निर्धारित तिथि तक पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वयं के मूल अंकसूची प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों की छाया प्रतियां सहित उपस्थित हों ।

कलेक्टर,
जिला टीकमगढ